U 5042
16.12.14

146

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0 –1/श0स्था0नि0/14452/1984 दिनांकः– 26/11/14

Spl. Sec.

सेवा में,

O. S. D. (K)

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना

OSD(K)
17.12

नगर विकास एवं आवास विभाग पत्र 15 DEC 2014 बिहार,

महाशय,

नगर परिषद, औरंगाबाद के वर्ष 2010–11 से 11–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 759/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

50-7

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

26/11/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर विकास एवं आवास विभाग पत्र पंजी 17 DEC 2014 संख्या 9611 बिहार, पटना

17/12

6
20410
247
18/12/14

1145

नगर परिषद, औरंगाबाद
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0— 759/13—14
अंकेक्षण वर्ष— 2010—11 से 11—12

1. प्रस्तावना

औरंगाबाद, नगर परिषद के वर्ष 2010—11 से 11—12 के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार, पटना के एक लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 01.10.12 से 13.10.12 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

क0सं0	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री कुमार देवेन्द्र प्रोज्जवल	01.04.10 से 30.04.10
2	श्री वकी प्रसाद सिंह	30.04.10 से 23.04.12
3	श्री शत्रुंजय कुमार मिश्रा	23.02.12 से 31.03.12
	मुख्य पार्षद	
1	श्रीमति संगीता सिंह	01.04.10 से 31.03.12
	उप मुख्य पार्षद	
1	श्रीमति समीमा खातून	01.04.10 से 31.03.12

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में जॉच किये गये अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट— I तथा लेखापरीक्षा में उपस्थापित नहीं किए अथवा असंधारित अभिलेखों सूची परिशिष्ट— II में दी गयी है।

4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा के दौरान बार— बार अनुरोध करने के बावजूद भी पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से एक भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन, लेखापरीक्षा में उपस्थापित नहीं किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखापरीक्षा दल द्वारा नहीं की जा सकी।

5. प्रमुख लेखापरीक्षा उपलब्धियॉ

क्र.सं.	कंडिका सं.	विवरण
1	17	बिना प्रशासनिक स्वीकृति के कार्य— 12.78 लाख
2	22	13वीं वित्त अनियमित व्यय— 27.18 लाख
3	24	बिना कार्य के भुगतान— 64.00 लाख
4	25	लेबर सेस— 9.00 लाख
5	26	प्रशासनिक भवन— 50.00 लाख

1144

6. वित्त

नगर परिषद, औरंगाबाद केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के अनुदान एवं ऋण तथा स्वयं के आय स्रोतों से वित्त सम्पोषित होती है। वर्ष 2010–11 से 11–12 तक का वार्षिक आय– व्यय लेखा नगर परिषद द्वारा तैयार नहीं किया गया था। वर्ष 2010–11 से 11–12 तक के पी.एल. खाता का रोकड़ बही के अनुसार आय– व्यय की स्थिति निम्न पायी गयी–

क्र.सं.	विवरण	2010–11 (लाख में)
1	प्रारंभिक शेष	168.25
2	वर्ष की प्राप्ति	
(i)	कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन	7.75
(ii)	मैचिंग ग्रान्ट	31.01
(iii)	पथ निर्माण	320.00
(iv)	मुख्य पार्षद तथा अन्य पार्षदों को भत्ता	1.45
(v)	नाला निर्माण	110.00
(vi)	टयूबवेल निर्माण	27.60
(vii)	नगर प्रबंधक का मानदेय	1.40
(viii)	स्टाम्प शुल्क	128.30
(ix)	स्वयं के स्रोतों से आय	28.36
2	वर्ष की कुल प्राप्ति	655.87
3	कुल प्राप्ति	824.13
	व्यय	
	आवर्ती व्यय तथा स्थापना व्यय	63.19
	विभिन्न योजनाओं पर व्यय	50.09
4	कुल व्यय	113.28
5	अन्तशेष	

क्र.सं.	विवरण	2011–12 (लाख में)
1	प्रारंभिक शेष	710.85
2	वर्ष की प्राप्ति	
(i)	कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन	60.34
(ii)	मैचिंग ग्रान्ट	8.62
(iii)	पथ निर्माण तथा नाला निर्माण	5.00
(iv)	मुख्य पार्षद तथा अन्य पार्षदों को भत्ता	1.45
(v)	विकास के लिए अनुदान	17.24
(vi)	नगरीय सड़कें	9.30
(vii)	जलापूर्त्ति	7.82
(viii)	हाथ से मैला ढोने की प्रथा की समाप्ति	26.08
(ix)	लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता	6.52
(x)	सड़कों के लिए रोशन	8.69

(xi)	पार्किंग स्थल	4.51
(xii)	स्थानीय निकायों के लिए असम्बद्ध अनुदान	50.00
(xiii)	ई गवर्नेंस	0.14
(xiv)	स्टाम्प शुल्क	46.19
(xv)	स्वयं के स्रोतों से आय	42.29
2	वर्ष की कुल प्राप्ति	294.19
3	कुल प्राप्ति	1005.04
	व्यय	
	आवर्ती व्यय तथा स्थापना व्यय	86.15
	विभिन्न योजनाओं पर व्यय	340.21
4	कुल व्यय	426.36
5	अन्तशेष	578.68

कोषागार पासबुक का अंतशेष– ₹57866309.89 (57867360.62)

अन्तर– ₹1050.73 का समाधान विवरणी अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा पी.एल. खाता के अलावे ग्यारह अन्य रोकड़ बहियों का संधारण किया गया था। इन रोकड़ बहियों के आय– व्यय निम्न है–

(क) आई.डी.एस.एम.टी.

	2010–11	2011–12
प्रारंभिक शेष	7796.00	7796.00
प्राप्ति	00	00
कुल प्राप्ति	7796.00	7796.00
व्यय	00	00
अन्तशेष	7796.00	7796.00

(ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

	2010–11	2011–12
प्रारंभिक शेष	1384480.00	1384480.00
प्राप्ति	00	00
कुल प्राप्ति	1384480.00	1384480.00
व्यय	00	200000.00
अन्तशेष	1384480.00	1184480.00

(ग) पथ का निर्माण/जीर्णोद्धार

	2010–11	2011–12
प्रारंभिक शेष	1229297.00	6208093.00
प्राप्ति	11500000.00	00
कुल प्राप्ति	12729297.00	6208093.00
व्यय	6521204.00	514395.00
अन्तशेष	6208093.00	5693698.00

1142

(घ) राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम

	2010–11	2011–12
प्रारंभिक शेष	307047.00	307047.00
प्राप्ति	00	00
कुल प्राप्ति	307047.00	307047.00
व्यय	00	00
अन्तशेष	307047.00	307047.00

(ड़) बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम

	2010–11	2011–12
प्रारंभिक शेष	7117406.00	5424750.00
प्राप्ति	7396528.00	6398499.00
कुल प्राप्ति	14513934.00	11823249.00
व्यय	9089184.00	10753268.00
अन्तशेष	5424750.00	106998.00

(च) नाली निर्माण

	2010–11	2011–12
प्रारंभिक शेष	1895072.00	7881484.00
प्राप्ति	12000000.00	00
कुल प्राप्ति	13895072.00	7881484.00
व्यय	6013588.00	6695362.00
अन्तशेष	7881484.00	1186122.00

(छ) बारहवीं वित्त

	2010–11	2011–12
प्रारंभिक शेष	5325756.00	2091216.00
प्राप्ति	00	00
कुल प्राप्ति	5325756.00	2091216.00
व्यय	3234540.00	1116352.00
अन्तशेष	2091216.00	974864.00

(ज) नागरिक सुविधा

	2010–11	2011–12
प्रारंभिक शेष	14000000.00	8637637.00
प्राप्ति	00	00
कुल प्राप्ति	14000000.00	8637637.00
व्यय	5362363.00	1684545.00
अन्तशेष	8637637.00	6953092.00

(झ) नगर परिषद निधि (पी.एल. खाता के अतिरिक्त)

	2010–11	2011–12
प्रारंभिक शेष	53255.00	53255.00
प्राप्ति	00	00
कुल प्राप्ति	53255.00	53255.00
व्यय	00	00
अन्तशेष	53255.00	53255.00

(ञ) एकादश वित्त आयोग

	2010–11	2011–12
प्रारंभिक शेष	62326.00	62326.00
प्राप्ति	00	00
कुल प्राप्ति	62326.00	62326.00
व्यय	00	00
अन्तशेष	62326.00	62326.00

(ट) तेरहवीं वित्त आयोग

	2010–11	2011–12
प्रारंभिक शेष	00	3000000.00
प्राप्ति	3000000.00	6408384.00
कुल प्राप्ति	3000000.00	9408384.00
व्यय	00	5717500.00
अन्तशेष	3000000.00	3690884.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

(क) क्रम सं0 (ड़) की प्राप्ति में रिफण्ड की राशि है। जिसमें ₹7000000 कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन 2 से प्राप्त है। यह राशि नागरिक सुविधा मद में प्राप्त हुआ था, बी.आर.जी.एफ. के रोकड़ बही से ₹6400000 रूपये नागरिक सुविधा मद में खर्च हुए। परन्तु शेष ₹600000 रूपये बी.आर.जी. एफ. मद में नागरिक सुविधा मद के विचलन की राशि थी। इस विचलन का करण अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

(ख) उपर्युक्त रोकड़ बहियों कम सं0 (क) से (ट) तक में वर्णित व्यय में कटौती (आयकर, वैट, रॉयल्टी) की राशि भी सम्मिलित है, किस मद में कितनी कटौती की गयी थी यह रोकड़ बहि में स्पष्ट नहीं था। अतः लेखापरीक्षा दल को मदवार कटौती तथा संबंधित विभाग को प्रेषित राशि की वस्तुस्थिति से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

(ग) पूर्व में उल्लिखित क्रम सं0 (क) से (ट) तक में वर्णित रोकड़ बहियों के बैंक खाता के अन्तशेष के साथ समाधान नहीं किया गया था। इन रोकड़ बहियों से संबंधित बैंक खातों में लेन– देन मिश्रित पाया

114 D

गया अर्थात एक बैंक खाते में एक से अधिक मदों का लेन– देन पाया गया। इन रोकड़ बहियों से संबंधित बैंक खातों का विवरण इस प्रकार है–

बैंक खाता का विवरण– 31.03.12 को अवशेष

मध्य बिहार ग्रामीण बैंक/ 4647/नया 70860100046471	5803114.35
औरंगाबाद जिला सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक/4529	2139915.00
पंजाब नेशनल बैंक/0502000100246963	7296230.00
पंजाब नेशनल बैंक/0502000100184186	51476.00
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया/2004506575	8242386.00
केनरा बैंक/3135101001651	377812.00
केनरा बैंक/3135101001652	3914359.00
कुल	27825292.35
रोकड़ बहियों के क्रम सं0 (क) से (ट) तक का दिनांक 31.03.12 को कुल अवशेष	21283545.00
दिनांक 31.03.12 को बैंक का अन्तशेष	27825292.35
अन्तर	6541747.35

अन्तर का बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

7. अनुदान

वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 तक के अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिससे दिनांक 01.04.10 को अव्यवहृत अनुदान तथा 31.03.12 तक अव्ययित अनुदान ज्ञात नहीं किया जा सका।

उपलब्ध रोकड़ बहियों एवं अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में प्राप्त अनुदान का विवरण निम्नलिखित है–

वर्ष	राशि
2010–11	66921182.00
2011–12	33378214.00

उपर्युक्त अनुदानों के व्यय तथा अवशेष राशि की स्थिति से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

8. निधि का ग्रामीण बैंक तथा को–ऑपरेटिव बैंक में रखा जाना

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक DGBA GAD No 229/42.01.001/2003-04 दिनांक 29.08.03 के अनुसार सरकारी लेन– देन (Govt. business) सरकारी बैंकों तथा चार प्राइवेट बैंकों (एच.डी.एफ.सी. बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, आई.डी.बी.आई, बैंक, यू.टी.आई. बैंक अब एक्सिस बैंक) के द्वारा किया जाना चाहिए। परन्तु नगर परिषद का एक बैंक खाता, औरंगाबाद जिला को–ऑपरेटिव बैंक खाता सं0 4529 (28.02.11 को राशि ₹2139915) में तथा एक बैंक खाता मध्य बिहार ग्रामीण बैंक खाता सं0 4647 अब 70860100046471 (31.03.12 को राशि ₹5803114.35) में था। नगर परिषद को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार खाता ग्रामीण बैंक तथा को–ऑपरेटिव बैंक में नहीं रखना चाहिए। अतः नगर परिषद उपर्युक्त बैंक खातों को बन्द कर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंकों में रख सकते हैं। लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुपालन में नगर परिषद द्वारा बताया गया कि कंडिका सुझावात्मक है जिसका अनुपालन जल्द किया जायेगा।

1139

9. मांग एवं वसुली पंजी

नगर परिषद द्वारा मकान कर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर आदि से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था, जिससे मांग एवं वसूली की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी।

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑकड़ों के अनुसार मांग एवं वसूली की स्थिति निम्नवत थी–

	2011–12	**राशि रूपये में**
भवन कर	बकाया मांग	1926561.80
	चालू वर्ष की मांग	1078847.58
	कुल मांग	3005409.38
	बकाया वसूली	557898.00
	चालू वर्ष में वसूली	387799.50
	कुल वसूली	945697.50
शेष	बकाया	1368663.80
	चालू वर्ष में	691048.08
	कुल शेष	2059711.88
	वसूली	31.47%

क्र.सं.	मद	बकाया मांग	चालू वर्ष में मांग	कुल मांग	बकाया वसूली	चालू वर्ष में वसूली
1	शिक्षा उपकर	963280.00	539423.79	1502703.79	27894.90	193899.75
2	स्वास्थ्य उपकर	963280.00	539423.79	1502703.79	27894.90	193899.75

कुल वसूली	शेष बकाया	चालू वर्ष में शेष बकाया	कुल शेष	% वसूली
472848.75	684331.00	345524.04	1029855.04	31.47
472848.75	684331.00	345524.04	1029855.04	31.47

ऑकड़ों से स्पष्ट है कि मांग के विरूद्ध वसूली प्रतिशत मात्र 31.47 था जो बहुत ही कम था। अतः भविष्य में इसे बढाने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए।

भवन कर, स्वास्थ्य उपकर, शिक्षा उपकर का Assessment आखिरी बाकर कब हुआ था, से संबंधित संचिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

बिहार प्रशासनिक शिक्षा उपकर अधिनियम 1959 एवं बिार स्वास्थ्य उपकर नियमावली 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली गयी कुल राशि के 10 प्रतिशत खर्च घटाकर, उपकरों की शेष राशि को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर देनी चाहिए।

नगर परिषद द्वारा कुल वसूली गई राशि का विवरण निम्नवत है–

1138

	कुल वसूली	घटाव	शेष राशि
शिक्षा उपकर	472848.75	47284.87	425563.88
स्वास्थ्य उपकर	472848.75	47284.87	425563.88
			851127.76

अतः ₹851128 का प्रेषण सरकार के संबंधित शीर्ष में करना था, परन्तु नगर परिषद द्वारा ऐसा नहीं किया गया। ₹851128 का प्रेषण सरकार के संबंधित शीर्ष में कर अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाये।

10. नहीं जमा/कम जमा

फार्म 'एम' रसीदों के माध्यम से वसूली गयी राशि का जमा दैनिक वसूली पंजी में देखने के कम में पाया गया कि 2455 नहीं जमा/कम जमा कियाा गया था। विवरण निम्नवत है–

क्र.सं.	रसीद सं.	दिनांक	वसूलीकर्त्ता का नाम	वसूली गई राशि	नहीं जमा/ कम जमा
1	10348	25.09.12	श्री राजेन्द्र प्रसाद	50.00	50.00
2	10855–10900	14.09.12 से 01.10.12	श्री सुरेन्द्र कुमार	2405.00	2405.00
				कुल	2455.00

कुल₹ 2455 की वसूली उक्त व्यक्तियों/वसूलकर्त्ता से कर नगर परिषद निधि में जमाकर, जमा का प्रमाण पत्र अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

अंकेक्षण के दौरान जमा राशि ₹12200 था, जिसमें ₹11548 चालान द्वारा जमा दिखाया गया तथा ₹652 मिसलेनियस रसीद द्वारा जमा दिखाया गया, अतः इससे संबंधित पासबुक अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

11. मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं/कम ₹69380

मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 1920/नि.मु.स. दिनांक 14.08.02 एवं सचिव– सह– निबंधन महानिरीक्षक, बिहार के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05 के अनुसार बस पड़ाव/हाट बाजार/जलकर/मेला स्थल/बालू हाट/दुकान/होल्डिंग/मार्केटिंग सेड्स इत्यादि की बन्दोबस्ती यदि एक वर्ष या इससे कम अवधि के लिए की जाती है तो बन्दोबस्ती करने से पूर्व बन्दोबस्ती की राशि पर 3 प्रतिशत की दर से देय मुद्रांक के रूप में बन्दोबस्ती कराने वाले से लेकर उसी पर बन्दोबस्ती की शर्त्तें लिखकर निर्गत की जानी चाहिए।

नगर परिषद द्वारा की गयी बन्दोबस्ती के विरूद्ध वसूली गयी मुद्रांक शुल्क का विवरण निम्नवत है–

क्र.सं.	बन्दोबस्ती का विवरण	वर्ष	बन्दोबस्ती की राशि	देय मुद्रांक
1	औरंगाबाद बाजार (दैनिक पार्किंग शुल्क, दैनिक स्टॉल रिक्शा, ठेला, साईकिल का वार्षिक निबंधन शुल्क)	2010–11	1108000.00	33240.00
2	औरंगाबाद बाजार (दैनिक पार्किंग शुल्क, दैनिक स्टॉल रिक्शा, ठेला, साईकिल का वार्षिक निबंधन शुल्क)	2011–12	1205000.00	36150.00

वसूली गई मुद्रांक शुल्क	कम वसूली	ठेकेदार
10	33230.00	श्री रंजी कुमार शाही
00	36150.00	श्री रंजीत कुमार शाही

अतः ₹69380 की वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाय एवं वसूली गयी राशि को मुद्रांक शुल्क के रूप में राज्य सरकार के संबंधित राजस्व शीर्ष में जमाकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

12. दुकानों पर बकाया किराया

नगर परिषद, औरंगाबाद के लेखापरीक्षा में पाया गया कि सितम्बर 2012 तक दुकानदारों पर कुल 62338 रूपये (विस्तृत विवरण परिशिष्ट– IV पर) किराया बकाया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि दुकानों पर बकाया वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपर्युक्त बकाया किराया ₹623381 रूपये से वसूल कर नगर परिषद निधि में जमा किया जाय एवं अंकेक्षण को अवगत कराया जाय। ₹14464, 10.10.12 को अंकेक्षण के दौरान मिसलेनियस रसीद सं0 11139 द्वारा जमा किया गया, इसे बैंक खाते में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

13. मोबाईल टॉवर से संबंधित राशि की वसूली नहीं

नगर परिषद, औरंगाबाद की वित्तीय वर्ष 2010–11 और 2011–12 के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाए गए टॉवरों से वसूली नहीं की गई। विवरणी निम्न है–

क्र.सं.	टॉवर का विवरण	बकाया अवधि	कुल बकाया राशि
1	एयरटेल	2007–08 से 11–12	640000.00
2	आईडिया	2011–12	60000.00
3	एयरसेल	2011–12	10000.00
4	रिलायन्स	2007–08 से 11–12	80000.00
5	आईडिया	2010–11 से 11–12	150000.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– V पर)

136

अतः उपरोक्त राशि ₹940000.00 को अविलम्ब संबंधित कंपनियों के व्यक्तियों से वसूला जाए और नगर परिषद निधि में जमाकर अंकेक्षण को दिखाया जाए।

14. क्वींस बेंटन रेले– 2010 के आगमन पर दो गेटों का निर्माण भुगतान– राम बालक सिंह एण्ड कं0 (सोनपुर), सारण ₹25000 चेक सं0– 926157/07.08.10

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मद से 25000 का व्यय क्वींस बेंटन रिले– 2010 के आगमन पर दो गेट के निर्माण पर किया गया था। यह व्यय जिला योजना समिति से पारित नहीं था ना ही नगर परिषद की बैठक में ही इसे पारित किया गया। उपर्युक्त राशि 25000 का व्यय पि.क्षे.नि. मद से किस आधार पर किया गया अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। अतः उपर्युक्त राशि के व्यय को स्पष्ट किये जाने तक 25000 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी जो मान्य नहीं है।

15. फार्म 'एम' एवं 'एन' की प्राप्ति नहीं

बिहार सरकार के आदेश सं0 19/pro/03/2005-1813 दिनांक 29.10.05 तथा नियम 40(10) Bihar minor mineral concession rules, 1972 के अनुसार (रॉयल्टी) की हानि/अनियमित खनन से बचने के लिए कोई भी राज्य/केन्द्र सरकार तथा कॉरपोरेशन उस बिल को प्राप्त नहीं करेगा जिसमें खनिजों के लागत को वसूलना हो, जो कार्य के दौरान इस्तेमाल किये गये हो, जबतक कि फार्म 'एम' के रूप में एफिडेविट तथा फार्म 'एन' के रूप में विवरण न दिया गया हो। फार्म 'एम' तथा 'एन' की फोटोकॉपी संबंधित जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकरी को पुष्टि के लिए भेजा जाना चाहिए। उस फार्म की पुष्टि होने के बाद भुगतान किया जाना चाहिए। परन्तु नगर परिषद द्वारा उपर्युक्त नियम का पालन नहीं किया गया था, अतः भविष्य में बगैर फार्म 'एम' तथा 'एन' के भुगतान प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

16. बिना प्रयोजन अनुदान राशि का अवरोधन

बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के पत्रांक सं0 4885 दिनांक 21.08.10 द्वारा श्री आलोक कुमार सिंह पुत्र श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह 175 प्रथम तल्ला, नेहरू बिहार, दिल्ली को नगर परिषद, औरंगाबाद में नगर प्रबंधक के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया। उन्हें 25.08.10 तक योगदान करने को कहा गया था। श्री अशोक कुमार सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी को अपना योगदान दिनांक 25.08.10 को दिये और तब से लगातार आजतक अनुपस्थित रहे इसकी सूचना कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उप सचिव– सह– निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को पत्र सं0 207 दिनांक 11.02.2011 द्वारा दे दी गई थी।

सरकार के उप सचिव– सह– निदेश, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार का पत्रांक 6243 दिनांक 03.11.2010 एवं स्वीकृत्यादेश सं0 5/ब. राज्य वित्त 29.01.2008–1536 दिनांक 25.03.2008 द्वारा नगर प्रबंधक को फरवरी 2011 तक में मानदेय भुगतान हेतु पंजाब नेशनल बैंक, गॉधी नगर, पटना ब्रांच

में बैंक ड्राफ्ट सं0 708313 दिनांक 30.10.2010 द्वारा ₹140000 जो औरंगाबाद में देय था नगर परिषद को भेजी गई जिसे पी.एल. खाते में दिनांक 01.12.10 को जमा पाया गया।

बिहार सरकार के संकल्प सं0 2305 दिनांक 03.05.08 द्वारा यह सूचित किया गया था कि अनुबंध के आधार पर इस नियोजन की अवधि प्रथम चरण में 1 वर्ष के लिए थी उसके बाद सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर नगरपालिका की अनुशंसा पर पुनः 1 वर्ष के लिए नियोजित किया जा सकता था। अनुबंध की अवधि के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं हुआ तो वैसी स्थिति में उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत नहीं होगा।

चूंकि श्री अशोक कुमार सिंह 2 वर्ष से ज्यादा दिनों से लगातार अनुपस्थित है और इनका पुर्नियोजन भी नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति कें इनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा। परन्तु नगर परिषद द्वारा सरकार से मानदेय भुगतान के लिए भेजी गई राशि ₹140000 अपने खाते में अनुचित तरीके से रखा हुआ है। इसे अविलम्ब सरकार को वापस किया जाय।

17. नगर परिषद निधि का दुरूपयोग

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निधि से समाहरणालय परिसर में पार्क–सह–झरना के निर्माण के लिए बिना टेंडर एवं प्रशासनिक स्वीकृति के श्री सुधीर कुमार परमार, संवेदक को कार्य प्रारंभ करने हेतु दिनांक 05.02.2011 को कार्यादेश निर्गत किया। जिलाधिकारी का निर्देश अंकेक्षण में नहीं उपलब्ध कराया गया। पार्क निर्माण का प्राक्कलित राशि ₹1501000 की जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल– 2, औरंगाबाद से दिनांक 24.08.10 को ली गई थी। इसके लिए न तो नगर परिषद के सशक्त स्थायी समिति के बैठक में कोई प्रस्ताव पारित किया गया नहीं बजट में कोई प्रावधान था। बाद में कार्यपालक पदाधिकारी ने पत्र सं0 68 दिनांक 19.10.11 द्वारा उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया जिसकी स्वीकृति उप विकास के ज्ञापांक 22 दिनांक 25.05.11 द्वारा दी गयी। जिसक जमीन पर पार्क का निर्माण कराया गया, वह जमीन नगर परिषद को हस्तान्तरित नहीं किया गया था। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्माण कराकर नगर निधि का दुरूपयोग किया। पार्क के निर्माण पर नगर निधि से किये गये व्यय का विस्तृत विवरण इस प्रकार है–

क्र.सं.	भुगतान का विवरण	किये गये कार्य का मूल्य	कटौतियॉ	भुगतेय राशि	चेक सं. /दिनांक
1	प्रथम चलता लेखा	888374.00	122435.00	765939.00	BR410428/ 13.04.11
2	द्वितीय चलता लेखा निल	451066.00	54912.00	396154.00	A639803/ 17.10.11
3	तृतीय चलता लेखा निल	130685.00	14375.00	116310.00	A639896/ 03.08.12
	कुल	1470125.00	191722.00	1278403.00	

कुल कटौती में 73506 विपत्र से अग्रधन के रूप में काटी गई थी। इस संबंध में जिलाधिकारी का निर्देश सशक्त स्थायी समिति का अनुमोदन बजट प्रावधान नहीं दिखाया गया। अतः कुल व्यय/भुगतेय राशि 1278403 अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

18. अनाधिकृत भुगतान

वर्ष 2011–12 के अभिश्रवों की नमूना जॉच में ₹188350 श्री मुकेश कुमार सिंह, ग्राम+पो0– विजौली को उनकी बोलेरो गाड़ी (न0BR-26B/8700) का भाड़ा भुगतान किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है–

क्र.सं.	संख्या	दिनांक	राशि	भुगतान का ब्यौरा
1	125	10.06.11	75600.00	22.10.10 से अप्रैल 2011 तक 1200 प्रतिमाह के दर से
	405	17.01.12	30600.00	01.10.11 से 31.12.11 04.06.11–30.06.11 कार्यपालक पदाधिकारी के गाड़ी पर 07.11 से 09.11 डीजल पर व्यय
2	295	08.10.11	40000.00	तथैव
3	120	10.06.11	5000.00	तथैव
4	201	08.08.11	4000.00	तथैव
5	241	03.09.11	6000.00	तथैव
6	319	24.10.11	4000.00	तथैव
7	359	07.12.11	8650.00	तथैव
8	286	08.10.11	8500.00	तथैव
9	406	17.01.12	6000.00	तथैव
		कुल	188350.00	

अभिश्रव सं0 212 दिनांक 08.08.11 द्वारा मे0 आर्यन एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड, स्टेशन रोड, पटना को उनके द्वारा ओवरहेड डाइरेक्शनल बोर्ड शहर में भिन्न– भिन्न जगहों पर लगाने हेतु 99620.00 का भुगतान किया गया। भुगतान जिला पदाधिकारी के निर्देश पर नगर निधि से किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी के लिए भाड़े पर गाड़ी रखने के लिए बोर्ड का अनुमोदन तथा उपर्युक्त व्यय 287970 (188350 + 99620) हेतु बजट प्रावधान एवं गाड़ी का व्यवसायिक निबंधन (commercial registration) का प्रमाण दिखाये जाने तक 287970 को अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

19. योजनाओं के कियान्वयन में अधिक भुगतान

(ब) योजना सं0–बी.आर.जी.एफ./07/F2-18/10–11

योजना का नाम– वार्ड नं0 7 करमा रोड रामराजनगर में मुन्ना बाबु एम.एल.सी. के सामने से राजेश्वर सिंह भाया रामलखन सिंह कर्मचारी एवं दीपू सिंह से अजय सिन्हा भाया देवी मंदिर तक पथ निर्माण

प्रा० राशि– ₹380000

मापी राशि– ₹377343

कुल भुगतान– ₹377343

संवेदक का नाम– श्री प्रमोद कुमार ठाकुर

उक्त पथ की लंबाई 940 फीट थी। योजना के अंतिम विपत्र की जॉच में पाया गया कि मापी पुस्तिका के अनुसार निष्पादित कार्य की मात्रा प्राक्कलन में दर्शाये गयी मात्रा से अधिक दिखाकर कुल 13970 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है–

क्र.सं.	किये गये कार्य का ब्योरा	प्राक्कलन के अनुसार कार्य की मात्रा	मापी के अनुसार कार्य की मात्रा	अंतर	दर	अधिक भुगतान
1	filing local sand in plinth and under floors	84.88 m3	90.32 m^3	5.44 m^3	117.6	640.00
2	providing 100A brick on edge flooring cement (1:4)	145.04 m2	158.23 m^2	13.19 m^2	402.8	5313.00
3	providing designation of 100A brick on edge soiling joints filled with local sand including cost of taxes etc.	698.89 m2	730.46 m^2	31.57 m^2	253.95	8017.00
						13970.00

विपत्र में प्राक्कलन में दिये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य दिखाकर ₹6251.81 का भुगतान किया गया, जो इस प्रकार था–

क्र.सं.	कार्य का नाम	निष्पादित मात्रा	दर	भुगतान
1	earth work filling inflank	38.94 m3	49.25	1917.79
2	carriage of earth	38.94 m3	111.30	4334.02
				6251.81

इस प्रकार कुल ₹20221 (13970 + 6251.81) का अधिक भुगतान किया गया, जो जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलनीय है।

(स) योजना सं0–बी.आर.जी.एफ.–13/F2/2010–11

योजना का नाम– वार्ड नं0 14 लखन साव के मकान से शिव शर्मा तक ललिता चौधरी से टुटलु पासवान तक नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य

प्रा0 राशि– ₹200000

संवेदक का नाम– श्री अमरजीत कुमार

पथ की लंबाई– 400 फीट

क्र.सं.	किये गये कार्य का ब्योरा	प्राक्कलन के अनुसार कार्य की मात्रा	मापी के अनुसार कार्य की मात्रा	अंतर	दर	अधिक भुगतान
1	earth work in excavation in foundation trenches	71.72 m^3	79.88 m^3	8.16	109.45	893.00
2	filling in plinth with local sand under floors	11.92 m^2	13.28 m^3	1.36	117.6	160.00
3	providing designation of 100A brick flat soiling	117.68 m^2	130.93 m^2	13.25	157.10	2082.00
4	providing and .... in position PCC (1:2:4)	8.96 m^3	7.97 m^3	1.01	2809.00	2837.00
5	providing 100A bricks works with cement mortar(1:4)	28.20 m^3	29.72 m^3	1.52	3024.60	4597.00
6	proving 12 mm thick CP(1:4) with cement pumping	229.20 m^3	253.07 m^2	23.87	88.40	2110.00
						12679.00

12679 की अधिक मापी दिखाकर भुगतान किया गया जो जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलनीय है।

20. योजनाओं के कियान्वयन में अधिक भुगतान

(अ) योजना सं0– RCD–01/F2-05/2010-11

योजना का नाम– करमा रोड त्रिपुरारी सिंह के घर के मोड़ से कुशवाहा नगर फेसर पचरूखिया पथ तक पी.सी.सी. निर्माण कार्य

प्रा0राशि– ₹7000000.00

संवेदक का नाम– श्री अजय कुमार सिंह, त्रिनेत्र राघवेन्द्र कंसट्रक्टर्स एंड लिजिंग प्रा0लि0

प्राक्कलन के अनुसार उपर्युक्त पथ की लंबाई 5225 फीट थी। प्राक्कलन के अनुसार 100 फीट पथ का कुल खर्च ₹133572 तदनुसार 5225 फीट का लागत ₹6979137 तथा साईनबोर्ड का खर्च मिलाकर ₹70 लाख अनुमानित था। अंतिम विपत्र के जॉच में पाया गया कि मापी पुस्तिका के अनुसार निष्पादित कार्य की मात्रा प्राक्कलन की मात्रा से अधिक दिखाकर ₹61132 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है–

(131)

क्र.सं.	किये गये कार्य का ब्योरा	प्राक्कलन के अनुसार कार्य की मात्रा	मापी के अनुसार कार्य की मात्रा	अंतर	दर	अधिक भुगतान
1	providing PCC (1:1:5:3) with approved quality of stone chips	1109.26 m^3	1123.38 m^3	14.12	3279.20	46302.30
2	providing sand filling in road as per E/S	309.40 m^2	365.62	56.22	117.60	6611.47
						52913.77
3	carriage of materials सिमेन्ट	467.63 MT	473.35 MT	5.72	152	869.44
	मोटा बालू	476.52 M^3	482.56 m^3	6.04	303.5	1833.14
	स्टोन चिप्स	953.04 m^3	965.14 m^3	12.10	455.88	5516.14
						61132.49

मापी पुस्तिका के अनुसार निष्पादित कार्य की मात्रा प्राक्कलन के दिखाये गये कार्य की मात्रा से अधिक था, जिससे ₹61132 का अधिक भुगतान किया गया, जो जिम्मेदार व्यक्ति से वसूलनीय है।

(ब) योजना सं0– DC-02/F2-04/10-11

योजना का नाम– करमा रोड त्रिपुरारी सिंह के घर से कुशवाहा नगर फेसर पचरूखिया पथ तक नाली निर्माण कार्य

प्रा0राशि– ₹5000000.00

संवेदक का नाम– श्री अजय कुमार सिंह, त्रिनेत्र राघवेन्द्र कन्स्ट्रक्टर्स एण्ड लिजिंग प्रा0लि0

उक्त की लंबाई 2020 फीट थी। प्राक्कलन दो भाग में तैयार किया गया था। प्रथम 1400 फीट की लागत ₹255581/फीट की दर से ₹3578134 अनुमानित था तथा दूसरे 620 फीट के लिए ₹227164/00 फीट की दर से ₹1408417 तथा साईनबोर्ड का खर्च ₹13449 मिलाकर कुल ₹5000000.00 अनुमानित था। अंतिम विपत्र में मापी पुस्तिका के अनुसार निष्पादित कार्य की मात्रा प्राक्कलन की मात्रा से अधिक दिखाकर 113650 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विस्तृत ब्योरा निम्नलिखित था–

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलन के अनुसार कार्य	मापी के अनुसार कार्य	अंतर	दर/ईकाई	अधिक भुगतान
1	earth work in excavation in foundation trenches	1740.94 m3	1817.98 m3	77.04	109.45	8432.00
2	providing & supplying local sand filling	184.94 m3	187.06 m3	2.12	117.6	249.00
3	providing 100A B/joints filled with local sand	1214.04 m^3	1222.89 m^2	8.85	157.10	1390.00
4	providing & laying PCC (1:2:4) with approved quality	184.94 m^2	187.072	2.13	2809	5983.00
5	providing 100A bricks works with CM (1:4)	600.52 m^3	620.52 m^3	20	3024.6	60492.00
6	providing 12mm thick cement plaster (1:4) with approved quality	2274.17 m^2	2360.44 m^2	86.27	88.40	7626.00
7	centring & shuttering carriage of materials	375.31 m^2	683.26 m^2	307.95	77.45	23851.00
	सिमेन्ट	216.81 MT	218.10 MT	1.29 MT	152	196.00
	लोकल बालू	203.45 m^3	206.13 m^3	2.68	138.35	371.00
	मोटा बालू	400.40 m^3	405.56 m^3	5.16	303	1563.00
	ईट	283310	291645	8335	420.80/00	3507.00
						113660.00

अतः ₹113660 का अधिक भुगतान किया गया, जो जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलनीय है।

21. निष्फल व्यय

योजना सं0– c5-02/10-11

मद– नागरिक सुविधा, घाट निर्माण

योजना का नाम– अदरी नदी के तट पर शवदाह रोड (मोदाधाम) का निर्माण कार्य

प्राक्कलित राशि– ₹5000000.00

संवेदक का नाम– श्री सुधीर कुमार परमार

कार्यादेश सं0 708 दिनांक 09.06.10 के अनुसार उपरोक्त कार्य 4 माह के अन्दर यदि दिनांक 07.10.10 तक पूरा कर लेना था। एकरारनामा के अनुसार समय पर कार्य पूरा नहीं करने की स्थिति में अग्रधन के

में जमा की गई पूरी राशि को जब्त करने का प्रावधान था। उपलब्ध कराये गये संचिका के अनुसार संवेदक को (17.03.11 तक) उनके द्वारा किये गये कार्य के विरूद्ध ₹2123531 का व्यय किया जा चुका था। उसके बाद बिना कोई कारण बताये संवेदक द्वारा कार्य स्थगित कर दिया गया। संवेदक का अग्रधन के रूप में नगर परिषद में ₹250000 जमा है। नगर परिषद के पत्र सं0 1373 दिनांक 28.09.11 द्वारा संवेदक को 05.10.11 तक उपरोक्त योजना का कार्य चालू करने हेतु स्मारित किया गया था, अन्यथा एकरारनामा रद्द करने की बात कही गई थी। नगर परिषद, द्वारा योजना प्रारम्भ न करने के पश्चात की गई कार्रवाई से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

22. 13वीं वित्त आयोग की राशि का अनियमित व्यय

कार्यपालक पदाधिकारी और मुख्य पार्षद, नगर परिषद, औरंगाबाद ने व्यवस्थापक बालाजी कारपोरेशन, बोरिंग रोड, पटना– 13 को बिना टेंडर/कोटेशन के ज्ञापांक सं0 1335 दिनांक 20.09.2011 द्वारा 40 डस्टबीन ज्ञापांक सं0 1476 दिनांक 18.10.11 द्वारा 20 हाथ ट्राली तथा ज्ञापांक सं0 1579 दिनांक 12.11.11 द्वारा पुनः 50 डस्टबीन जिसका कुल मूल्य ₹2717500 था के क्रय हेतु आपूर्त्ति आदेश इस आधार पर निर्गत किया गया कि नगर परिषद, हाजीपुर द्वारा भी उसी फर्म को ज्ञापांक सं0 1546 दिनांक 22.06.11 द्वारा डस्टबीन के क्रय हेतु आदेश निर्गत किया गया था जिसकी प्रतिलिप मे0 बालाजी कारपोरेशन द्वारा नगर परिषद, औरंगाबाद को उपलब्ध करायी गई थी। संबंधित संचिका के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद, हाजीपुर द्वारा समाचार पत्र में विज्ञापन देकर सामग्रियों के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया गया था तथा प्राप्त चार कोटेशन में बालाजी कारपोरेशन का कोई कोटेशन नहीं था। नगर परिषद, हाजीपुर द्वारा मे0 रिलायबल इन्टरप्राइजेज, मीठापुर, पटना जिसका दर न्यूनतम था को आपूर्त्ति आदेश इस शर्त्त पर निर्गत किया गया था कि वह पहले एक डस्टबीन आपूर्त्ति करेंगे जिससे उसकी गुणवत्ता की जॉच की जा सके एवं सही पाये जाने पर 10(दस) डस्टबीन 10 दिनों के अन्दर आपूर्त्ति कर भुगतान हेतु विपत्र प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में बालाजी कारपोरेशन द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में रिलायबल इन्टरप्राइजेज उसी फर्म का नाम था। संचिका में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कारपोरेशन का यह तर्क गलत पाया गया क्योंकि नगर परिषद, हाजीपुर द्वारा मे0 रिलायबल इन्टरप्राइजेज के नाम से फर्म का निबंधन वाणिज्य कर विभाग, पटना में 31.01.11 के प्रभाव से ही था। इस प्रकार मे0 रिलायबल इन्टरप्राइजेज जून 2011 में बालाजी कारपोरेशन का पूर्ववर्ती फर्म कैसे हो सकता था? दोनों फर्मों का पटना में कार्यालय का पता भी अलग– अलग जगहों पर था। नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा आपूर्त्ति की गई सामाग्रियों का भौतिक सत्यापन भी किसी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया था।

नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा सीधे मे0 बालाजी कारपोरेशन, बोरिंग रोड, पटना को भिन्न– भिन्न तिथियों में आपूर्त्ति आदेश निर्गत कर कुल ₹2717500 का मूल्य की सामग्रियों का क्रय बिना टेंडर/कोटेशन के की गई जो अनियमित एवं संदिग्ध या क्रय की गई सामग्रियों का विवरण निम्नलिखित हैं–